न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 2647–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–5–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपल प्रकरण कमांक 447/अपील/2012–13.

.....

1– विजय राम आत्मज श्री पन्नालाल
जाति गौड आदिवासी
संतराम उर्फ संग्राम सिंह
2– रघुवीरसिंह आत्मज पन्नालाल
जाति गौड आदिवासी
निवासी ग्राम खिरीया कुर्मी
तहसील बुधनी, जिला सीहोर
कृषक ग्राम दामादेही
तहसील बाड़ी, जिला रायसेन .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, रायसेन, जिला रायसेन .....प्रत्यर्थी

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 23 अप्रैल, 2014)

अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 6–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2012 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 22–4–2013 को अपर आयुक्त के प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील लगभग 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने

के कारण अपीलार्थीगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–5–2013 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की सूचना अपलार्थीगण को नहीं दी गई है, और दिनांक 5–3–2013 को जब वे जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए तब उन्हें आदेश की जानकारी हुई, अतः जानकारी के दिनांक से प्रथम अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से केवल 3 माह विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, और 3 माह तक कलेक्टर के आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं होना स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके, जब तक कि प्रकरण प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब न हुआ हो । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विववेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–5–2013 निरस्त किया जाता है । उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपर आयुक्त उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोष पर आदेश पारित करें ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर